दिनांक 15.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 25/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मानीय उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति, इलाहाबाद के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन एवं यूनिसेफ के समन्वय से आयोजित कार्यशाला

आज दिनांकः 15.11.2025 को पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार में माननीय उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति, इलाहाबाद के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन एवं यूनिसेफ के समन्वय से विशेष किशोर पुलिस इकाइयों एवं अन्य बाल संरक्षण इकाईयों के मध्य समन्वय एवं क्षमतावर्धन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का अयोजन किया गया।

कार्यशाला का शुभारम्भ **मुख्य अतिथि श्री अजय भनोट**, माननीय न्यायामूर्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट/अध्यक्ष किशोर न्याय समिति तथा **विशिष्ट अतिथि श्री राजीव कृष्णा**, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया गया।

बाल दिवस पर महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किशोरों में लैंगिक जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक शॉर्ट फिल्म '**बढ़ते बच्चे**' तैयार कराई गई। इसमें बाल विवाह, पोक्सो अपराध, कम उम्र में अनचाहे संबंधों और उनके दुष्परिणामों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सरल और प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया गया है। WCSO का प्रयास है कि शिक्षा विभाग के सहयोग से तथा यूपी पुलिस की लगभग 18 हजार महिला बीट आरक्षियों के माध्यम से इस फिल्म का प्रसारण सभी सरकारी और निजी माध्यमिक विद्यालयों में हो, ताकि बच्चों को गलत कदम उठाने, अपराध का शिकार बनने या अनजाने में कानून उल्लंघन से बचाया जा सके। यह फिल्म ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के सहयोग से बनी है और इसमें अभिनय करने वाले सभी कलाकार इसी आयु वर्ग के छात्र हैं। मुख्य अतिथि जस्टिस अजय भनोट एवं विशिष्ट अतिथि श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा इस फिल्म का उद्घाटन किया गया तथा इस शार्ट फिल्म को बनाने में विशिष्ट सहयोगियों एवं प्रतिभाग करने वाले कलाकारों को पुरस्कार प्रदान कर पुरस्कृत किया गया।

मुख्य अतिथि माननीय न्यायामूर्ति श्री अजय भनोट जी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि संवेदना के बगैर जुवेनाइल जस्टिस लागू नहीं हो सकता है। पुराने समय में बच्चों को डराते हुए कहा जाता था कि सो जाइये नहीं तो पुलिस अंकल आ जाएंगे और बच्चे डर के सो जाते थे। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के आने के बाद से पुलिस का रोल अधिक संवेदनशील हो गया है। यह महत्वपूर्ण है कि जब कोई बच्चा पुलिस के संपर्क में आता है तो पुलिस अफसर का बात करने का तरीका कैसा है यदि उसकी आवाज कड़क है तो बच्चा सहम जाएगा और असल मामला दब जाएगा इसलिये लहजा अच्छा होना चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण** ने मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट जी के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में सम्मिलित होकर अधिकारियों का मार्गदर्शन किया।

अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि बच्चों से जुड़े प्रत्येक प्रकरण में पुलिस की भूमिका पूरे तंत्र की धुरी है। कोई बच्चा पुलिस के संपर्क में आता हैकृ चाहे वह अपराध का शिकार हो, किसी अपराध में संदिग्ध हो या निराश्रित एवं संरक्षण की आवश्यकता में होकृतो उसकी स्थिति का प्रारम्भिक आकलन थाना स्तर पर ही होता है, और यही आकलन आगे चलकर बच्चे के भविष्य को गहराई से प्रभावित करता है। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि पुलिस अधिकारी कानूनी विकल्पों, विभागीय दिशानिर्देशों और संस्थागत प्रक्रियाओं को समझते हुए बच्चे और उसके परिवार के सर्वोत्तम हित में निर्णय लें।

उन्होंने कहा कि गलत प्रारम्भिक जजमेंट बच्चे के जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है, इसीलिए अनुभव, प्रशिक्षण, संवेदनशीलता और विधिक ज्ञानकृइन चारों का संतुलित उपयोग अनिवार्य है। कार्यशाला में प्रस्तुत कानूनों, महिला एवं बाल कल्याण विभाग की नीतियों, समाज की अपेक्षाओं तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से अधिकारियों को अपने निर्णय को और अधिक मजबूत आधार देने में सहायता मिलेगी।

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अब कई व्यवस्थाएँ जिला स्तर से बढ़ाकर थाना स्तर तक उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि पीड़ित बच्चों और महिलाओं को अनावश्यक दूरी या असुविधा का सामना न करना पड़े। विशेष शक्ति केंद्र (Mission Shakti Kendras) को केवल एफआईआर या चार्जशीट से आगे ले जाते हुए अवेयरनेस, काउंसलिंग, प्रिवेंटिव एक्शन, महिला बीट अधिकारियों की सक्रिय भूमिका, ग्रामीण स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक सहायता जैसी सेवाओं को एकीकृत किया गया है।

उन्होंने बरेली में घटी हालिया घटना का विशेष उल्लेख किया, जहाँ एक 6 वर्षीय बच्ची की गंभीर स्वास्थ्य समस्या को पहचानकर एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने त्वरित चिकित्सा, निरंतर फॉलो–अप और परिवार को आवश्यक सहयोग प्रदान कर बच्ची का जीवन बचाया। यह उदाहरण दर्शाता है कि संवेदनशीलता, सतर्कता और मानवताकृपुलिसिंग के वास्तविक आधार स्तंभ हैं।

पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी बच्चे के मामले में निर्णय लेते समय यह दृष्टिकोण अपनाएँ कि ”यदि यही स्थिति मेरे किसी परिचित के बच्चे की होती, तो मैं क्या करता?“ ऐसी सोच के साथ लिया गया निर्णय बिना किसी जटिल प्रक्रिया के भी मानवीय, न्यायसंगत और प्रभावी बन जाता है।

उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य माननीय उच्च न्यायालय की मंशा, समिति की भावना और सरकार की सोच को एकीकृत करते हुए महिलाओं और बच्चों के संरक्षण हेतु एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जो अधिक सक्षम, उत्तरदायी और परिणामकारी हो।

अंत में, पुलिस महानिदेशक ने माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट जी के प्रति एक बार पुनः कृतज्ञता व्यक्त की और कहा कि उनके मार्गदर्शन ने इस महत्वपूर्ण प्रयास को नई दिशा प्रदान की है।

यूनिसेफ उत्तर प्रदेश के **चीफ आफ फील्ड ऑफिसर डा. जकारी एडम** ने कहा कि किशोर न्याय और पोक्सो पर 10वां नेशनल राउंडटेबल बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और त्वरित सहायता को मजबूत करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। यूपी हाईकोर्ट जुवेनाइल जस्टिस कमेटी द्वारा सभी संबंधित ढाँचों को सुदृढ़ करने की भावना सराहनीय है। बच्चों के प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में पुलिस की संवेदनशील, सहयोगी और अधिकार–आधारित भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। एसजेपीयू की अवधारणा पुलिस–बच्चों के संवाद को अधिक मानवीय, चाइल्ड–फ्रेंडली और संरक्षण–केंद्रित बनाने का सशक्त माध्यम है। जेजे एक्ट का मूल सिद्धांत–बच्चों का सर्वोत्तम हित, गरिमा, सहभागिता और पुनर्वास है।

महिला कल्याण विभाग की निदेशक श्रीमती संदीप कौर ने कहा कि बाल संरक्षण किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सभी विभागों का काम है। इसके महत्व को समझना जरूरी है। महिला एवं बाल संरक्षण विभाग की एडीजी श्रीमती पद्मजा चौहान ने कहा कोई भी बच्चा सबसे पहले पुलिस के संपर्क में आता है जिसे देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत होती है, जानकारी के अभाव में कई बार बच्चों की कैटगरी तय नहीं हो पाती, बच्चों के मामलों पर समुचित समझ के साथ निर्णय लेना जरूरी है। कार्यशाला में यही सोच समझ विकसित करने का उद्देश्य है।

इसके अलावा कार्यशाला में बालसंरक्षण एवं बच्चों के विरुद्ध हिंसा, किशोर न्याय प्रणाली, लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम, बाल अनुकूल पुलिस, एसजेपीयू, डीसीपीयू, सीएचएल समन्वय एवं मिशन शक्ति केंद्र की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला ने किया।

कार्यक्रम में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सहित प्रदेश के कमिश्नरेट तथा रेंज से आये स्पेशल जुवेनाईल पुलिस यूनिट्स के नोडल अधिकारी, प्रदेश के सभी कमिश्नरेट/जनपदों से आये विशेष किशोर पुलिस इकाईयों के प्रभारी तथा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी शामिल रहे।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन
unicef
for every child
उत्तर प्रदेश पुलिस
द्वारा
विशेष किशोर पुलिस इकाईयों एवं अन्य बाल संरक्षण इकाइयों के
मध्य समन्वय एवं क्षमता संवर्धन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला
विशिष्ट अतिथि
श्री राजीव कृष्णा
मुख्य अतिथि
मा० न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट
अध्यक्ष किशोर न्याय समिति, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश पुलिस
द्वारा
विशेष किशोर पुलिस इकाईयों एवं अन्य बाल संरक्षण इकाइयों के
मध्य समन्वय एवं क्षमता संवर्धन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला
विशिष्ट अतिथि
श्री राजीव कृष्णा
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
मुख्य अतिथि
मा० न्यायमूर्ति श्री अजय भनोट
अध्यक्ष किशोर न्याय समिति, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ऑडीटोरियम, पुलिस मुख्यालय,
Mr. Rajeev Krishna

विशिष्ट अतिथि
श्री राजीव कृष्णा
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
अध्यक्ष किशोर न्याय

दिनांक 15.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 26/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 तस्कर, 69 किलो 512 ग्राम गाँजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 17.25 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 14–11–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को लगभग 69 किलो 512 ग्राम गाँजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 17.25 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1– रजनीश द्विवेदी पुत्र सत्येन्द्र द्विवेदी उर्फ लालू द्विवेदी निवासी जयनापुर, थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर।

बरामदगी–

1– 69 किलो 512 ग्राम गाँजा (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 17.25 लाख रूपये)

2– एक अदद हुण्डई वरना कार, वाहन संख्या WB08E2508

3– 02 अदद मोबाइल

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

करनपुर समोगरा अण्डर पास, थाना क्षेत्र कोतवाली देहात, जनपद मीरजापुर। दिनांक 14.11.2025 समय करीब 22.13 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोहो के सक्रिय होने की सूचनाए प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 15–11–2025 को अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सदस्य बौधगढ, उडीसा से वाहन संख्या WB08E2508 हुण्डई वरना कार में बनवायी गयी कैविटी में गॉजा छिपाकर मीरजापुर के रास्ते जाने वाला है। इस सूचना पर निरीक्षक प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह यादव, मु0आ0 प्रभात कुमार व मु0आ0 विजेन्द्र नाथ राय, की टीम द्वारा स्थानीय क्षेत्राधिकारी नगर विवेक जावला व थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर की टीम को साथ लेकर चौकी करनपुर, समोगरा अण्डरपास के पास 01 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त रजनीश द्विवेदी ने पूछताछ में बताया कि उपरोक्त वाहन संदीप वर्मा पुत्र राम नरेश चौधरी निवासी जयनापुर, सिकन्दरपुर थाना समनपुर जनपद अम्बेडकर नगर का है, जो गाँजा लाने के लिए अपना वाहन और पैसा देकर भेजता है, जिसके लिए वह मुझे प्रति चक्कर 20,000 रूपये देता है। यह गाँजा राकेष वर्मा निवासी मसडा बाजार, थाना बसखारी, जनपद अम्बेडकर नगर को देना था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर में मु0अ0सं0 505/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर, दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त विष्णु खरवार पुत्र इन्द्रासन खरवार का ज्ञात अपराधिक इतिहास–

1– मु0अ0सं0 115/2025, धारा 115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर।

2– मु0अ0सं0 505/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।

एसटीएफः पेट्रोल पम्पों पर अपमिश्रित पेट्रोल व डीजल की सप्लाई करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 05 सक्रिय गिरफ्तार।

दिनांकः 14–11–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को पेट्रोल पम्पों पर अपमिश्रित पेट्रोल व डीजल की सप्लाई करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के 05 सक्रिय सदस्यो को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– पवन गिरी पुत्र रमेश गिरी निवासी ग्राम रंगपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

2– सद्दाम पुत्र फखरूद्दीन निवासी बीसा कालोनी थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।

3– चन्द्रविजय पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम मुस्तफाबाद रोड, माता मन्दिर के पास शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद।

4– सर्वेश कुमार पुत्र जय सिंह निवासी रसूलपुर कला सहसवान,जरीफ नगर, जनपद बदायूँ।

5– कन्हैया लाल पुत्र स्व0 सुरेश चन्द्र वाष्णेय निवासी सासनी गेट, जनपद अलीगढ़।

बरामदगीः–

1– 01 अदद टैंकर, नम्बर UP15CT- 3530 जिसमें आठ हजार लीटर अद्योमानक पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था)

2– 01 अदद प्लास्टिक का मोटा पाईप

3– 01 अदद डीप राड

4– रूपया 56,100/– नकद।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय/स्थान

दिनांक 14–11–2025, समयः लगभग 20.00 बजे , थाना ऐका जनपद फिरोजाबाद क्षेत्र।

शासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि) लखनऊ द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था। उक्त पत्र की जॉच एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर को प्रेषित की गयी थी। जॉच के क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 नोएडा गौतमबुद्धनगर एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 नोएडा के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सचिन कुमार एवं उप निरीक्षक श्री सनत कुमार, एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर अवैध ब्राउजरों एवं तेल माफियाओं द्वारा मिलावटी पेट्रोल व डीजल की सप्लाई करने वाले गिरोह के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद अलीगढ, फिरोजाबाद, हापुड, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर आदि जनपदों में पेट्रोल पम्पों पर नकली एवं मिलावटी डीजल व पेट्रोल की सप्लाई करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हुई।

इसी क्रम में दिनांक 14–11–2025 को एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम जनपद फिरोजाबाद क्षेत्र में भ्रमणशील थी। उसी दौरान एस0टी0एफ0 टीम को सूचना मिली कि नकली एवं मिलावटी डीजल व पेट्रोल से लोड एक टैंकर चन्द्रा फिलिंग स्टेषन पर सप्लाई देने वाला है। उपरोक्त सूचना पर एस0टी0एफ0 नोएडा टीम द्वारा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, जनपद फिरोजाबाद एवं थाना एका जनपद फिरोजाबाद पुलिस के साथ पूछताछ हेतु सद्दाम एवं चन्द्र विजय थाना ऐका फिरोजाबाद लाया गया। पूछताछ के उपरान्त प्रकाश में आया कि मौके से पकड़ा गया मिलावटी पैट्रोलियम पदार्थ जनपद अलीगढ के पराग पेन्टस एण्ड कैमिकल फैक्टरी से लिया गया है, जिस पर एसटीएफ टीम द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी, अलीगढ के साथ पराग पेन्टस एण्ड कैमिकल फैक्टरी पर पहुॅचकर छानबीन के दौरान सैम्पलिंग की गयी और कन्हैया लाल तथा सर्वेष कुमार को पूछताछ हेतु थाना ऐका लाया गया, जहॉ समेकित पूछताछ के उपरान्त उपरोक्त पॉचों व्यक्तियों को समय करीब 20.00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्त पवन गिरी ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 48 साल है और वह पिछले पन्द्रह वर्षो से जनपद बुलन्दशहर के पेट्रोल पम्पों पर सैल्समेन का काम कर चुका है। इसके बाद वह सैल्समेन का काम छोडकर टैंकर खरीदकर खुद हरियाणा के मेवात एवं नूँह एरिया से चोरी का डीजल व पेट्रोल लाकर जनपद बुलन्दशहर के आसपास के इलाकों में बेचने लगा था। इसके बाद अभियुक्त पवन गिरी लगभग पॉच वर्ष पूर्व अपमिश्रित डीजल व पेट्रोल के काम में संलिप्त हो गया और काफी मुनाफा कमाने लगा। इसी दौरान पूर्ति निरीक्षक, तहसील बुलन्दषहर द्वारा दिनांक 05–03–2020 को अपमिश्रित पेट्रोल के टैंकर को पकड़ा गया था जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली जनपद बुलन्दशहर पर अभियुक्त पवन गिरी एवं इसके साथी मौ0 सद्दाम आदि के विरूद्ध मु0अ0सं0 180/2020 धारा 7/3 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के उपरान्त अभियुक्त पवन गिरी एवं सद्दाम के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इसके बाद अभियुक्त पवन गिरी जनपद अलीगढ के कन्हैया लाल के संपर्क में आ गया, जिनकी पराग पेन्टस एण्ड केमिकल फैक्टरी के नाम से अलीगढ में फर्म थी। कन्हैया लाल अद्योमानक पेट्रोल 70–75 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से अभियुक्त पवन गिरी को देने लगा और फिर पवन गिरी इसी अद्योमानक मिलावटी पेट्रोल को 80 से 85 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से विभिन्न पेट्रोल पम्पों पर बेचने लगा।

अभियुक्त पवन गिरी दिनांक 14–11–2025 को कन्हैया लाल के पराग पेन्टस एण्ड कैमिकल फैक्टरी से आठ हजार लीटर अपमिश्रित पेट्रोल टैंकर में भरकर जेडा झाल थाना एका जनपद फिरोजाबाद के चन्द्रा फिलिंग स्टेशन पर उतार रहा था उसी दौरान एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं स्थानीय पुलिस के साथ अभियुक्त पवन गिरी को पकड लिया गया।

जॉच के दौरान चन्द्रा फिलिंग स्टेशन के पास पेट्रोल पम्प चलाने का कोई लाईसेन्स भी नही मिला और इसी पेट्रोल पम्प पर पिछले चार माह से अवैध रूप से अपमिश्रित पेट्रोल बेचा जा रहा था।

अभियुक्त पवन गिरी, उपरोक्त के विरूद्ध निम्न अभियोग का पंजीकृत होना पाया गया है–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	180/20	7/3 आवश्यक वस्तु अधिनियम	कोतवाली देहात	बुलन्दशहर
2	336/25	318(4) बीएनएस एवं 3/7 आवष्यक वस्तु अधिनियम	ऐका	फिरोजाबाद

अभियुक्त सद्दाम, उपरोक्त के विरूद्ध निम्न अभियोग का पंजीकृत होना पाया गया है–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	180/20	7/3 आवश्यक वस्तु अधिनियम	कोतवाली देहात	बुलन्दशहर
2	336/25	318(4) बीएनएस एवं 3/7 आवष्यक वस्तु अधिनियम	ऐका	फिरोजाबाद

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तो के विरूद्ध थाना ऐका, जनपद फिरोजाबाद पर मु0अ0सं0 336/25 धारा 318(4) बीएनएस एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एएनटीएफ थाना मेरठ द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 03 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 688 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम (जिसकी कीमत लगभग 26 लाख रूपया), 03 अदद मोबाइल फोन, 02 अदद आधार कार्ड, 02 अदद पैन कार्ड, 02 अदद डी.एल.,02 अदद बैंक कार्ड, 01 अदद कार व 5,180/– रुपया नगद बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के नेतृत्व में एएनटीएफ थाना मेरठ द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 03 अन्तर्राज्यीय सक्रिय तस्कर (1) धीरेंद्र पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम बागडु खुर्द थाना सफीदों जिला जींद, हरियाणा उम्र करीब 33 वर्ष, (2) रजनीश पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम बागडु खुर्द थाना सफीदों जिला जींद, हरियाणा उम्र करीब 38 वर्ष, (3) शाहिद पुत्र सलीमुद्दीन निवासी ओसिक्का थाना बडौत जनपद बागपत उ0प्र0 उम्र करीब 47 वर्ष को गिरफ्तार किया गया ।अभियुक्तगण के कब्जे से 02 किलो 688 ग्राम अवैध मादक अफीम (जिसकी कीमत लगभग 26 लाख रूपया), 03 अदद मोबाइल फोन, 02 अदद आधार कार्ड, 02 अदद पैन कार्ड, 02 अदद डी.एल.,02 अदद बैंक कार्ड, 01 अदद कार व 5,180/– रुपया बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना बाबरी जनपद शामली पर मु0अ0सं0 129/25 धारा 8/18/29/60 एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया गया कि गिरफ्तार शाहिद वर्ष 2023 में चरस सप्लाई में करनाल जेल गया था वहां नेपाल का एक व्यक्ति भी अफीम तस्करी के मामले में जेल में बन्द था । उसी दौरान गिरफ्तार धीरेन्द्र भी दवाईयां सप्लाई करने के मामले में जेल में था । इन लोगों की जेल में अच्छी जान पहचान हो गयी थी । जेल से बाहर आने के बाद यह लोग अफीम एक व्यक्ति के माध्यम से आर्डर कर मंगाने लगे । वह व्यक्ति बिहार व नेपाल की महिलाओं की सहायता से अफीम भिजवाता है, अफीम लाने वाली महिलाएं ट्रेन से आती हैं और आसपास स्टेशन के बाहर अफीम इन्हें डिलीवर कर चली जाती हैं । यह तीनों यह अफीम उस एक व्यक्ति द्वारा भेजी गयी महिला द्वारा अफीम लेकर लक्सर स्टेशन से आ रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. धीरेंद्र पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम बागडु खुर्द थाना सफीदों जिला जींद हरियाणा उम्र करीब 33 वर्ष
2. रजनीश पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम बागडु खुर्द थाना सफीदों जिला जींद हरियाणा उम्र करीब 38 वर्ष
3. शाहिद पुत्र सलीमुद्दीन निवासी ओसिक्का थाना बडौत जनपद बागपत, उत्तर प्रदेश उम्र करीब 47 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक–

दिनांक– 14.11.2025 स्थान– मुजफ्फरनगर से शामली की ओर जाने वाली लाइन पर बाबरी बस स्टैण्ड/चन्द्रपुरा फार्म के समाने थाना बाबरी जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण

1. 02 किलो 688 ग्राम अवैध मादक अफीम (जिसकी कीमत लगभग 26 लाख रूपया)
2. 03 अदद मोबाइल फोन
3. 02 अदद आधार कार्ड
4. 02 अदद पैन कार्ड
5. 02 अदद डी.एल.
6. 02 अदद बैंक कार्ड
7. 01 अदद कार
8. 5180/– रुपया नगद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ

1. उ0नि0 श्री तुषार सिंह
2. हे0का0 राजेन्द्र कुमार
3. हे0का0 पंकज कुमार
4. का0 अंकित कुमार

सहयोगार्थ थाना की टीम–

1. उ0नि0 राघवेन्द्र सिंह थाना बाबरी जनपद शामली
2. हे0का0 अंकित भाटी थाना बाबरी जनपद शामली
3. का0 प्रभात थाना बाबरी जनपद शामली

एएनटीएफ यूनिट बरेली द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 03 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम (जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रूपये), 01 अदद मोबाइल फोन व नगद रुपया बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के नेतृत्व में एएनटीएफ यूनिट बरेली द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 सक्रिय तस्कर जिसका नाम चंदन गुप्ता पुत्र स्व0 लखपत राम गुप्ता नि0 ग्रा0 डहरपुर कलां थाना दातागंज जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 03 किलो 100 ग्राम अवैध मादक अफीम (जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रूपये), 01 अदद मोबाइल फोन, नगद रूपया बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना दातागंज जनपद बदायूँ पर मु0अ0सं0 410 /25 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही किया गया ।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछने पर बताया गया कि उसकी शादी झारखंड में हुई है जहाँ इसका आना–जाना रहता है । उसकी पहचान वहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति से

है, जो जिला पलामू में पांकी नामक स्थान पर जंगल में रहता है । यह अफीम वह इस एक व्यक्ति से जाकर लाया है, जिसे यह पंजाब से आने वाले ग्राहकों को सप्लाई कर देता है । यह लुधियाना के एक व्यक्ति जिन्हे यह डाक्टर भाईसाहब के नाम से जानता है, वह व्यक्ति इस माल को खरीदने के लिये आज किसी को भेजने वाले था । आज यह उसका इन्तेजार कर रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. चंदन गुप्ता पुत्र स्व0 लखपत राम गुप्ता नि0 ग्रा0 डहरपुर कलां थाना दातागंज जनपद बदायूं ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक–

दिनांक– 15.11.2025 स्थान– समरेर दातागंज मार्ग पर धरेली जाने वाले रास्ते के सामने से थाना दातागंज क्षेत्र जनपद बदायूँ ।

बरामदगी का विवरण

1. 03 किलो 100 ग्राम अवैध मादक अफीम (जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रूपये)
2. 01 अदद मोबाइल फोन
3. 140/– रुपये नगद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ

1. प्रभारी उ0नि0 श्री विकास यादव तैनाती ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
2. हे0का0 दिनेश कुमार तैनाती ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली ।
3. का0 सौरभ चौधरी एएनटीएफ यूनिट बरेली
4. का0 अंकित यादव ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
5. का0 रसविन्द्र चौधरी ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली
6. का0 कुश कुमार एएनटीएफ यूनिट बरेली
7. म0का0 रिजवाना राव एएनटीएफ यूनिट बरेली

सहयोगार्थ थाना दातागंज की टीम–

1. उ0नि0 नाहर सिंह थाना दातागंज जनपद बदायूँ
2. हे0का0 673 रघुवीर सिंह थाना दातागंज जनपद बदायूँ

जनपद संतकबीरनगर/थाना कोतवाली खलीलाबाद

• 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनॉकः 15.11.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मगहर हाईवे काला गेट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अकबर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अकबर निवासी परदेशवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

जनपद देवरिया/थाना रूद्रपुर

• 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनॉकः 15.11.2025 को थाना रूद्रपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधर पर अवस्थी चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त बजरंगी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रूद्रपुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रूद्रपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बजरंगी निवासी मलहज थाना शाहगंज जनपद जौनपुर।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय बस्ती द्वारा थाना नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त प्रदीप को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना टिकैतनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय बाराबंकी द्वारा थाना टिकैतनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अतीक अहमद को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कानपुर देहात/थाना मुसानगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय कानपुर देहात द्वारा थाना मुसानगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुरेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————